राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....971/2018.....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स पिंकसिटी बिल्डहोम प्रा.लि., जयपुर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त–X, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/09/2018	**एकलपीठ** **श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अलकेश शर्मा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बैद उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2018 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रूपये 3,45,024/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है । उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया है। उन्होंने कथन किया कि उक्त शास्ति आरोपण के लिए कर निर्धारण अधिकारी को क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि 3,45,024/– की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी । विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी । उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवसायी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान अपने होटल व्यवसाय के उपयोग के लिए बेडशीट का आयात "सी" फार्म के समर्थन पर किया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा उक्त बेडशीट का पुनः विक्रय न किया जाकर उसका उपयोग किया गया। अतः अपीलार्थी द्वारा पूर्ण कर का भुगतान किया जाकर माल की खरीद की जानी चाहिए थी। परन्तु उनके द्वारा धारा 8 का उल्लंघन किया जाकर माल की खरीद रियायती कर दर पर माल की खरीद की गई। अपीलार्थी व्यवसायी के इस कथन के लिए कि कर निर्धारण अधिकारी का शास्ति आरोपण के संबंध में कोई अधिकार नहीं बनता है, इसके संदर्भ में **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम मैसर्स डायर कीकिन ब्रेवरीज लिमिटेड (1973) 31 एसटीसी 588 निर्णय दिनांक 08.03.1973** में लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....971 / 2018.....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स पिंकसिटी बिल्डहोम प्रा.लि., जयपुर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त–X, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18 / 09 / 2018	– 2 – प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी व्यवहारी की किसी अवधि विशेष के कर निर्धारण हेतु कोई कर निर्धारण अधिकारी सक्षम है तो वही अधिकारी उस अवधि के दौरान उस व्यवहारी द्वारा किये गये किसी अभियोग पर शास्ति आरोपण हेतु भी सक्षम है एवं शास्ति का आरोपण विधिक है। परिणामस्वरूप **"प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से बकाया मांग राशि की वसूली हेतु प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।"** उपरोक्तानुसार व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। (मदनलाल मालवीय) सदस्य	